उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-459/2025/260के-2/22-3-2024-17(204)/15

लखनऊ: दिनांक: 17 सितम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मिश्रा उर्फ मिश्रीलाल (बंदी संख्या-18355) पुत्र श्री शिवचरन, निवासी-मेहरवान खेड़ा मजरा मेथी टीकुर, थाना-माखी, जनपद-उन्नाव, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-228/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149, 452, 404 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), उन्नाव के आदेश दिनांक 18-12-2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 01-05-2024 तक भोगी गई 23 वर्ष, 02 माह, 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष, 01 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा, रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बंदी की आयु 75 वर्ष से अधिक होने तथा संतोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

5- पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-491/2022 बिलकीस याकूब रसूल बनाम भारत संघ व अन्य तथा सम्बद्ध रिट याचिकाओं, विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव।